कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर

क्रमांक /क्रय/19 सागर दिनांक / /2019

निविदा आमंत्रण सूचना

सभी निविदिदाताओं को सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,सागर के अंर्तगत रेडियोडायग्नोसिस विभाग में एकत्रित फिक्सर के विकय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मोहरबंद लिफाफे पर निविदा का नाम उल्लेखित कर दिनांक 31.10.19, 5:30 pm तक जमा की जा सकेगी। निविदा से संबंधित अन्य जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा कार्य की शर्तें निम्नानुसार हैः-

1. **निविदा धरोहर राशि :-**निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम रु. 5000 (रु. पांच हजार मात्र) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में देय निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसकी वैद्यता न्यूनतम 18 माह होना अनिवार्य है। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
   सफल निविदाकार की धरोहर राशि फर्म के आवेदन पर वापस कर दी जावेगी।

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में 18 माह तक जमा रहेगी।

1. अधिकतम वित्तीय दर प्रदान करने वाली फर्म से, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,सागर के अंर्तगत रेडियोडायग्नोसिस विभाग में एकत्रित फिक्सर के विकय हेतु निविदा का कार्य निम्न शर्तो के साथ प्रदान किया जाएगा। कार्यादेश की अवधि एक वर्ष होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अवधि, फर्म के आवेदन एवं क्रय/कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर, स्वीकृत वित्तीय दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु किसी भी परिस्थिति में अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. चयनित की गई फर्म को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत 07 दिवस के अंदर कार्य की प्रकिया पूर्ण करना होगा।

3. स्वीकृत दर अनुसार अनुसार कय की गई राशि चालान के माध्यम से महाविद्यालय की स्वशासी शाखा में जमा करना होगा।

4. अनुबंधित निविदादाता फर्म के कार्यकाल में यदि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उस शिकायत का निराकरण अधिष्ठाता महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।

5. निविदादाता फर्म को निविदा की समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा, किसी भी एक शर्त/शर्तो के उल्लघंन करने पर फर्म की निविदा निरस्त एवं जमा सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा। अधिष्ठाता महोदय चाहे तो वह निविदा शर्तो के उल्लघंन पर, निविदादाता फर्म पर आर्थिक दण्ड न्यूनतम राशि रु. 500 अधिकतम राशि रु. 2000/- तक प्रति एक प्रकरण अर्थ शस्ति लगा सकते है। जिसकी वसूली निविदादाता द्वारा जमा सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी।

7. किसी भी प्रकार के प्रकरण हेतु सागर न्यायालय मान्य होगा ।

Scanned by CamScanner

8. कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए।

9. सफल निविदादाता फर्म को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत इस आशय का 100रु के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा कि फर्म को किसी भी शासकीय/अद्धशासकीय संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नही किया गया है, फर्म द्वारा अधिकतम वित्तीय दर प्रदाय की गई है एवं फर्म द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त जानकारी सत्य है एवं निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है।

10. निविदादाता फर्म को जी.एस.टी. पंजीयन एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. वित्तीय दर समस्त कर एवं दायित्वों सहित प्रस्तुत की जानी है। पृथक से कोई भी कर मान्य नही किया जावेगा।

12. देयकों का भुगतान कार्य की गुणवत्ता, कार्य सत्यापन करने के उपरांत ही किया जावेगा।

13. बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।

14. सफल निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ करना होगा।

15. वित्तीय दर प्रस्तुत करने हेतु प्रारुप निम्नानुसार है:–

S.No.	Particular	Unit	Rate with all taxes In Rs
1	Sale Of Fixer	Per Litre	

दर्शित तिथि एवं समय के पश्चात् निविदाए स्वीकार्य नही की जावेंगी। डाक द्वारा विलंब हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

//
अधिष्ठाता
शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक 7792/क्रय/19 सागर दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपिः–

1. कय समिति सदस्य........निविदा खोलने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु........बु.चि.महा. सागर।
3. प्रभारी अधिकारी लेखा/स्वशासी शाखा।
4. प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा की ओर विज्ञापन महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5) विभागाध्यक्ष रेडियोडायग्नोसिस विभाग

अधिष्ठाता
शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner